

प्रेषक,  
शिशिर  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,  
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किशत की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2506/सं०नि०-20(जै०वि०शो०सं०)/2015 दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या- 81/2018/1211/चार-2018-62 (बजट) /2007 दिनांक 24 मई, 2018 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू० 15.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किशत हेतु धनराशि रू० 7.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष रू० 34.00 लाख (रूपये चौतीस लाख मात्र) की अन्तिम किशत की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटी ) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।
- 6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101- ललित कला शिक्षा-16 -उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ को अनुदान -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7- 1201 /दस-2018 दिनांक 03 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)

विशेष सचिव

संख्या- 03 /2019/ 4089 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)

विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।